जिस बाबत कलेक्टर, पाली के आदेश दिनांक 10.5.1982 के द्वारा उक्त 1 बीघा कृषि भूमि को 30 वर्ष की लीज पर गीता सत्संग भवन संस्थान को दिया गया, जिसका राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरकरण संख्या 893 दिनांक 8.6.1982 को अमल दरामद किया गया। नामान्तरकरण संख्या 893 दिनांक 8.6.1982 को ईन्द्राज करते वक्त लिपिकीय त्रुटिवश खातेदान की शेष कुल खातेदारी कृषि भूमि का कुल रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा मे से 1 बीघा कृषि भूमि ओर कम कर दी। जिला कलेक्टर, पाली द्वारा रेकर्ड का अवलोकन कर नामान्तरकरण संख्या 893 को निरस्त कर तहसीलदार, पाली को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया कि वे पुनः राजस्व रेकर्ड की आदि की जांच कर बाद जांच व सुनवाई के विधि सम्मत आदेश पारित करें। जिला कलेक्टर, पाली द्वारा विलम्ब के बिन्दु पर दोनो पक्षों को विस्तार से सुना गया, परन्तु भूलवश उक्त विलम्ब के बिन्दु पर निर्णय लिखने मे अवश्य त्रुटि की है परन्तु अपील को अन्दर म्याद मानते हुए ही मेरिट पर निर्णय किया है। जब मेरिट पर मामला प्रबल हो तो तकनीकी त्रुटि को गौण मानते हुए गुणवगुण निर्णय करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय ने इसी दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित है, जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.9.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर